| तारीख हुक्म 172/2019 | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 7/9/22 | पत्रावली आज दिनांक प्रशासन गांवो के संग फोलो–अप केम्प में पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थी द्वारा ग्राम **जोरावरपुरा प0ह0 कंकोलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बनेड़ा तहसील बनेड़ा** जमाबंदी संवत् **2073** से **2076** तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से **पत्थरगढी/सीमांकन** से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। **प्रार्थी** के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>बनेड़ा<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Anshul Singh<br>Date: 2022.09.27 12:36:56 IST<br>Reason: SelfAttested | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर – 172/2019 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1– गुणमाला देवी पत्नी अशोक कुमार जैन निवासी 6 ए 4 हाऊसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा
2– नीता पत्नी संजय जैन निवासी 17 मेन सेक्टर, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1– मागु पिता भैरू भील निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेड़ा
2– कैलाश कंवर पत्नी भैरू सिंह राजपुत निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेड़ा
3– ललित कुमार पिता मदनलाल सोडाणी निवासी बनेड़ा
4– तहसीलदार बनेड़ा

–विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

दिनांक :– 07/09/2022

**प्रार्थी** की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जोरावरपुरा तहसील **बनेड़ा** जिला **भीलवाड़ा** में स्थित आराजी नम्बर 21, 22, 23/2 कुल किता 3 रकबा 13 **बीघा** 17 **बिस्वा** के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थी** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

**प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 **ग्राम जोरावरपुरा तहसील बनेड़ा** जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 21, 22, 23/2 **कुल किता 3 रकबा 13 बीघा 17** बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। **प्रार्थी** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार [illegible] होता है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक न्याय के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझता हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.09.27 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम जोरावरपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में **स्थित प्रार्थीगण**

की आराजी नम्बर 21, 22, 23/2 कुल किता 3 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक बनेड़ा को 1400/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक बनेड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.09.27 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested